

## महिला सम्वृद्धि योजना (Mahila Samridhi Yojna)

महिला सम्वृद्धि योजना के निमित अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक दृष्टि कोण से बनाने हेतु रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण (Skill Development) दिये जाने के पश्चात् उन महिलाओं को अल्पसंख्यक निगम के माइक्रो क्रेडिट योजना से जोड़ा जाता है। योजना के तहत् आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं का 15-20 SHG Group बनाकर सिलाई-कटाई आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है, सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण किए जाने के पश्चात् व्यवसाय आरम्भ करने हेतु Jointly or Individually अधिकतम 1,00,000/- (एक लाख) रु० के ऋण की राशि 7% Interest rate पर उपलब्ध कराया जा सकता है।

❖ योग्यता:-

- i. आवेदक की आयु 16 से 45 वर्ष की हो।
- ii. आवेदक की वार्षिक आय- 1,20,000/- रु० (शहरी क्षेत्र में)  
98,000/- रु० (ग्रामीण क्षेत्र में)
- iii. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

क्र० सं०	मापदंड <b>(Parameters)</b>	स्कीम का ब्योरा
1	प्रशिक्षण अवधि	6 माह
2	प्रशिक्षण सामग्री	500/-रु० maximum
3	मानेदय की राशि	1,000/- maximum प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति माह